कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

01 नि॰/लि॰ को॰/144 – 01/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत् दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा तथा निर्धारित अर्हत्ता (यथा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति आदि) पूरी करने वाले निम्नांकित लिपिक को वित्त विभाग के पत्रांक 10936 दिनांक 27.11.14 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 25.01.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–2(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित वांछित सेवावधि पूरी करने अथवा विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता/विमुक्ति प्राप्त करने की तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र॰ स॰	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे/पुनरीक्षित लेवल			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री न्यूटन कुमार	17.05.83	10.08.07	10.08.17 लेवल–3	—	—	
2	श्री आदित्य कुमार	26.12.80	13.08.07	13.08.17 लेवल–3	—	—	
3	श्री आशुतोष कुमार शर्मा	12.01.78	10.08.07	10.08.17 लेवल–3	—	—	
4	श्री विद्यासागर प्रसाद	01.03.77	12.11.07	12.11.17 लेवल–3	—	—	
5	श्री मनोज कुमार चौधरी	01.01.71	26.09.97	—	26.09.17 लेवल–7	—	
6	श्री संजय कुमार	01.01.66	24.07.86	—	12.10.17 लेवल–7	—	
7	श्री श्याम बाबु प्रसाद	01.01.74	16.10.97	—	16.10.17 लेवल–7	—	
8	श्री मनोज कुमार	25.02.76	27.12.97	—	27.12.17 लेवल–7	—	
9	श्री मनोज कुमार सिंह	01.08.63	01.10.86	—	—	01.10.16 ग्रेड पे 4800 /लेवल–8	
10	श्री अभय कुमार सिनहा	16.04.60	14.09.87	—	—	14.09.17 लेवल–8	
11	श्री राकेश कुमार	07.09.62	23.09.87	—	—	23.09.17 लेवल–8	
12	श्री अशोक बैठा	05.01.65	23.05.85	—	—	23.05.15 ग्रेड पे 4800	

2॰ उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका–12 के अनुसार किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 के बाद के मामलों में संबंधित कर्मियों को स्वीकृत वित्तीय उन्नयन लेवल में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका–11 के आलोक में किया जा सकेगा।

3॰ सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी लिपिक की सेवा–पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है, वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं तथा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण/विमुक्त हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा।

इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के आलोक में संबंधित कर्मियों के स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के वेतन निर्धारण के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा यह भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा कि संबंधित सरकारी सेवक विहित कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से उन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति प्राप्त है। जो कर्मी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्हें सक्षम प्राधिकार से उक्त परीक्षा से विमुक्ति नहीं प्राप्त है, उनके वेतन का निर्धारण उक्त परीक्षा से उत्तीर्णता/विमुक्ति के पश्चात् ही उनके नाम के समक्ष अंकित वित्तीय उन्नयन की तिथि के प्रभाव से किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

6. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

30/01/18

(मुकुल कुमार सिन्हा)
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ....1138........./पटना, दिनांक ....30.01.18....
01 नि./लि. को./144 – 01/2011

प्रतिलिपि :–
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित)/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./लिपिक कोषांग एवं सभी सम्बन्धित लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/18

संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।